UPMT010020572026

<u>**न्यायालयः-अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-01, मथुरा।**</u>

उपस्थित-राम किशोर पाण्डेय, उच्चतर न्यायिक सेवा

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-931/2026

नीरज शर्मा आदि प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

<u>आदेश</u>

अपराध संख्या-189/2024, धारा-498A,323,504,506 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 डी.पी.एक्ट थाना-मांट, जिला-मथुरा के अभियुक्तगण **नीरज शर्मा, श्री चन्द उर्फ चन्द्र शर्मा एवं श्रीमती राधा देवी** की ओर से जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह प्रथम अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा नीरज उर्फ श्वेता द्वारा सबंधित थाने पर इस आशय में तहरीर दी गयी कि उसकी शादी दिनांक-04.12.2023 को नीरज शर्मा पुत्र चन्द्र शर्मा के साथ हिन्दु रीति-रिवाज से मय दान दहेज से हुयी थी। उसकी शादी में उसके पिताजी ने लगभग आठ लाख रूपये खर्च किये थे। शादी के बाद से ही उसके ससुरालीजन पति नीरज, ससुर चन्द्र शर्मा, सास राधा शर्मा, देवर मोनू शर्मा, ननद सुनीता देवी, देवरानी मोनिका शर्मा उसके पिता द्वारा शादी में दिये गये दहेज से खुश नहीं थे तथा सभी लोग मिलकर उससे अतिरिक्त दहेज में पांच लाख रूपया और गाड़ी की मांग करते थे मांग पूरी न होने पर ये सभी लोग उसे मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न कर गाली-गलौज करते तथा मारपीट करते थे तथा कहते थे यदि तू अपने पिताजी से पांच लाख रूपये व गाड़ी नहीं लेकर आयी तो तुझे जान से मार डालेगें। नीरज पहले से शादीशुदा था, यह बात उसने मुझसे व परिवार से छुपायी थी। इसी दहेज की मांग के कारण उसका पति उसे दिनांक-16.01.2024 को उसे माइके छोड़कर चला गया। लोकलाज के कारण उसके पिताजी ने दिनांक-18.02.2024 को उसके ससुराल छोड़ आये तथा उसके पिताजी ने इनसे विनती कि उनके पास और पैसा देने के लिये नहीं है उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से दहेज में काफी दे दिया है। दिनांक-14.04.2024 को नीरज शर्मा ने उससे कहा कि अपने पिताजी से रूपये लेकर आ नहीं तो तुझे नहीं रखूगां। उसने मना किया तो नीरज ने उसके साथ बुरी तरह मारपीट कि तब उसने पिताजी को अपने ससुराल बुलाया तथा उनके साथ माइके आ गयी तभी से माइके में रह रही है। वादिनी मुकदमा की उपरोक्त तहरीर के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण अभियुक्तगण के विरूद्ध सम्बंधित थाने पर पंजीकृत हुआ।

आवेदक/अभियुक्तगण की तरफ से धारा-482 बी०एन०एस०एस० के अंतर्गत, अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें स्वयं की गिरफ्तारी की आशंका जतायी गयी है। अभियुक्तगण निर्दोष हैं, अभियुक्तगण ने कभी दहेज के तंग व परेशान किया गया और न ही कोई मारपीट की गयी है परन्तु परिवादिनी द्वारा जानबूझकर तंग व परेशान करने एवं दबाव बनाने के लिये अभियुक्तगण को झूटा फंसाया गया है। अभियुक्तगण की किसी भी संज्ञेय अपराध के मामले में किसी भी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध नहीं हुयी है और न ही उनका पूर्व का कोई आपराधिक

Digitally signed by RAM KISHOR PANDAY
Date: 2026.03.18 11:34:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

इतिहास है। तथाकथित घटना का कोई भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जनसाक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्तगण जमानत पर रिहा होने के उपरांत जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगे। अतः उक्त कथनों के आधार पर अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

मैंने अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्क सुने एवं समस्त प्रपत्रों का परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्तगण पर वादिनी मुकदमा से अतिरिक्त दहेज में अतिरिक्त पांच लाख रूपये व गाड़ी की मांग करने, मांग पूरी न होने पर वादिनी मुकदमा के साथ गाली–गलौज करते हुए मारपीटकर घर से निकाल देने व जान से मारने की धमकी देना आक्षेपित है। उक्त प्रकरण पारिवारिक है। उक्त मामले में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। उक्त मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुण दोष पर टिप्पणी किये बिना, आवेदक/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत स्वीकार किये जाने योग्य है।

तदनुसार आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है। अपराध संख्या–189/2024, धारा–498A, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 डी.पी.एक्ट थाना–मांट, जिला–मथुरा के अंतर्गत यदि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है तो प्रत्येक अभियुक्त को मु० 1,00,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संस्तुति पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन मुक्त किया जाए।

1–अभियुक्तगण किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जैसा और जब अपेक्षा की जायेगी, पूछताछ हेतु उपस्थित होंगे।

2– अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों/आरोप विरचित किये जाने आदि की तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होते रहेंगे एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेंगे।

3– अभियुक्तगण उस अपराध, जिसको करने का उस पर अभियोग या सन्देह है, जैसा अन्य कोई अपराध नहीं करेंगे।

4– अभियुक्तगण मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेंगे।

बन्धपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात सम्बन्धित मजिस्ट्रेट आदेश की प्रति थानाध्यक्ष/विवेचक एवं पुलिस अधीक्षक, मथुरा को प्रेषित करें।

दिनांक–16.03.2026

(राम किशोर पाण्डेय)
ID No. UP 6052
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–01, मथुरा।